

प्रसार भारती
(भारत का लोक सेवा प्रसारक)
प्रादेशिक समाचार एकांश
आकाशवाणी, पटना

प्रसारण:— अपराह्न 02:00 बजे से।

अवधि— 05 मिनट

राज्य मंत्रिमंडल ने शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में डोमिसाइल नीति लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। अब शिक्षक नियुक्ति के लिए सिर्फ राज्य के मूल निवासी ही पात्र होंगे। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस0 सिद्धार्थ ने बताया कि डोमिसाइल नीति शिक्षक भर्ती परीक्षा के चौथे चरण से ही प्रभावी होगी। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत रसोइयों, रात्रि प्रहरियों और शारीरिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य अनुदेशकों की मानदेय राशि दोगुनी करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अब मध्याह्न भोजन योजना में कार्यरत रसोइयों को एक हजार छह सौ पचास रुपए की जगह तीन हजार तीन सौ रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। वहीं, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत रात्रि प्रहरी को प्रतिमाह पांच हजार रुपए की जगह दस हजार रुपए मानदेय मिलेगा। डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशकों की मानदेय राशि प्रतिमाह आठ हजार रुपए से बढ़ाकर सोलह हजार रुपए कर दी गयी है। वहीं, इनकी वार्षिक वेतन वृद्धि दो सौ रुपए के स्थान पर चार सौ रुपए करने का निर्णय लिया गया है।

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि आशा और ममता कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि में बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। अब आशा कार्यकर्ताओं को एक हजार रुपये की जगह तीन हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। वहीं, ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव तीन सौ रुपये की जगह छह सौ रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसके अलावा कैबिनेट ने मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में एक डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट ने मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री साईकिल योजना और मुख्यमंत्री बालिका पोशाक

योजना की राशि अब सीधे डीबीटी के माध्यम से छात्र-छात्राओं के बैंक खाते में भेजने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की है।

आईआरसीटीसी होटल घोटाला मामले में आरोपों के गठन पर अब सात अगस्त को फैसला आएगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में आज इस मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई सात अगस्त को निर्धारित की है। इस मामले में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव समेत चौदह आरोपी हैं।

पटना उच्च न्यायालय ने पूर्व विधायक अनंत सिंह को गोलीबारी करने के एक मामले में जमानत दे दी है। न्यायालय ने नियमित न्यायिक प्रक्रिया में उपस्थित रहने और किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि से दूर रहने की शर्त पर जमानत दी है।

पटना एम्स में रेजिडेंट और जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल आज पांचवें दिन भी जारी है। इसके चलते आईपीडी और ओपीडी सेवा प्रभावित हुई है। दूर-दराज के इलाके से इलाज करवाने पहुंचे मरीजों को हड़ताल के कारण काफी परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। इस बीच, हड़ताली चिकित्सकों ने कहा है कि जब तक विधायक चेतन आनंद माफी नहीं मांगते हैं और एम्स परिसर में समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती है, तब तक वे काम पर वापस नहीं लौटेंगे।

प्रदेश में मानसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र, पटना के अनुसार अगले एक सप्ताह तक राज्य में बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। उत्तर बिहार के कई हिस्सों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। इधर, आज पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और मधुबनी जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

पटना के बैरिया बस स्टैंड के पास एक अनियंत्रित हाईवा ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाईकिल सवार दो कांवरियों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

इसके साथ ही आकाशवाणी, पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।